न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 42 सन 2021

अनवान :–

1. सरजीत कौर पत्नी स्व दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगोमेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अजमेरसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. कुलदीपसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
3. अमनदीपकोर पुत्री नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
4. कुलदीपसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
5. किरण पुत्री नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
6. गुरप्रितसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
7. गरुमीतकोर पत्नी गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
8. छिन्द्रकौर उर्फ मंजीतकोर पुत्री गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
9. जगदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
10. जरनैलकौर पत्नी गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
11. जसवन्त कौर उर्फ गुरदेवकौर पुत्री दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
12. जसविन्द्रकोर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
13. जीतसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
14. तरसेमसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
15. प्रकाश कौर पत्नी बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
16. परमजीत कौर पत्नी नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
17. बलकारसिह पुत्र मालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
18. बलदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
19. बंसतकौर पुत्री पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
20. बिन्द्रकौर उर्फ परमजीतकौर पुत्री गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
21. माणकसिह उर्फ कुलदीप सिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
22. राजकुमार पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
23. लखविन्द्रसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
24. शान्तिदेवी पत्नी पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
25. सुखतारसिह उर्फ सुखदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
26. सुखदेवसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
27. सुखप्रितकौर उर्फ सुखप्रितकौर पुत्र नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
28. संदीप कौर पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
29. संदीपसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

30. सरजीतसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
31. हरदेवसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
32. हरदीपकोर पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/06/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 57/55 की कुल 5.8950हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मालसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह, गुरदयालसिह, बलवीरसिह पर औद हुई जिनमें से पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह , गुरदयाल सिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 जो सयुक्त परिवार के सदस्य है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 अपने हक हिस्सा के अनुसार रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजो /पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 33 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 57/55 की कुल 5.8950हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मालसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह, गुरदयालसिह, बलवीरसिह पर औद हुई जिनमें से पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह , गुरदयाल सिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्थात विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 जो सयुक्त परिवार के सदस्य है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 57/55 की कुल 5.8950हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मालसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्रों पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह, गुरदयालसिह, बलवीरसिह पर औद हुई जिनमें से पालसिह, दयालसिह, बलवीरसिह , गुरदयाल सिह के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्य1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 ,15 ,17 ,24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ,11 ता 14 ,16 ,18 ता 23 ,25 ता 32 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 57/55 की कुल 5.8950हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादिया अकेली 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 अकेली 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 17 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 अकेला 1/5 हिस्सा का धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सरजीत कौर पत्नी स्व दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगोमेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 अजमेरसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. कुलदीपसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
3. अमनदीपकोर पुत्री नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
4. कुलदीपसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
5. किरण पुत्री नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
6. गुरप्रितसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
7. गरुमीतकोर पत्नी गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
8. छिन्द्रकौर उर्फ मंजीतकोर पुत्री गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
9. जगदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
10. जरनैलकौर पत्नी गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
11. जसवन्त कौर उर्फ गुरदेवकौर पुत्री दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
12. जसविन्द्रकोर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
13. जीतसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
14. तरसेमसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
15. प्रकाश कौर पत्नी बलवीरसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
16. परमजीत कौर पत्नी नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
17. बलकारसिह पुत्र मालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर हाल निवासी रानिया तहसील सिरसा
18. बलदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
19. बंसतकौर पुत्री पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
20. बिन्द्रकौर उर्फ परमजीतकौर पुत्री गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
21. माणकसिह उर्फ कुलदीप सिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
22. राजकुमार पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
23. लखविन्द्रसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
24. शान्तिदेवी पत्नी पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
25. सुखतारसिह उर्फ सुखदेवसिह पुत्र गुरदयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
26. सुखदेवसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
27. सुखप्रितकौर उर्फ सुखप्रितकौर पुत्र नानकसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
28. संदीप कौर पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
29. संदीपसिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

30. सरजीतसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
31. हरदेवसिह पुत्र पालसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
32. हरदीपकोर पुत्री गुरदेवसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक– 01/04/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 57/55 की कुल 5.8950हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 32 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादिया अकेली 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 अकेली 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 17 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 24 अकेला 1/5 हिस्सा का धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर